न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **07/2018** आवंटन निरस्ती

1. श्री वीरम गमेती पिता श्री सोमा जी भील, निवासी डोडावली, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रतन सिंह पिता श्री नाहर सिंह जी राजपूत, निवासी करनाली तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री विजय सिंह पिता श्री मोड़ सिंह राजपूत, निवासी करनाली तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सवा पिता राजीया भील, निवासी डोडावली, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
2. श्री जेता पिता राजीया भील, निवासी डोडावली, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री शंकर पिता राजीया भील निवासी डोडावली, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
4. श्री काना पिता राजीया भील, निवासी डोडावली, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
5. श्रीमान तहसीलदार साहब गिर्वा, तह.गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) लेण्ड अलोटमेन्ट रूल्स बाबत निरस्त कराये जाने आवंटन अन्तर्गत मिसल सं. 127/2006 आवंटन दिनांक 27.02.2006

उपस्थितः 1. श्री नरेन्द्र सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भूरालाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांकः— 27.11.2019

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) लेण्ड अलोटमेन्ट रूल्स बाबत निरस्त कराये जाने आवंटन के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करनाली तहसील गिर्वा के आराजी नं. 457, 458, 459, 460 की किता 4 रकबा 0.5700हे. स्थित है जिस पर प्रार्थी का कब्जा उसके पिता के समय से ही करीबन 80 वर्ष से चला आ रहा है। जिस पर 40

वर्ष पूर्व इस भूमि पर तीन तरफ से कच्ची कोट बना रखी है व थूर की बाड भी बना रखी है। विपक्षीगणों का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है, नाही काश्त की गई। मात्र धोखे व तथ्यों से छिपाकर गलत तरीके से मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर विपक्षी सं. 1 से 4 ने अपने नाम पर आवंटन करवा ली। जो शून्य प्रभावी होकर निरस्त कराये जाने योग्य है। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की।

एक माह पूर्व विपक्षी सं. 1 से 4 प्रार्थीगणों की उक्त भूमि पर आये एवं गाली–गलोच की व जमीन से बेदखल करने की धमकी दी। और कहने लगे की भूमि विपक्षी सं. 1 से 4 ने अपने नाम पर करवाली है। इस कारण प्रार्थीगण का कब्जा हटा कर रहेगें। जिस पर प्रार्थीगणों द्वारा काफी हाथाजोडी की और कहा की आपने हमारी जमीन को अपने नाम कैसे करवाली। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा कहा की मिल मिलाकर जमीन आवंटन करवाली एवं प्रार्थीगणों को जान से मारने की धमकी दी। जिस पर राजस्व रेकार्ड निकलवाया तो प्रार्थीगणों को ज्ञात हुआ की विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा गलत तरीके से भूमि अपने नाम पर आवंटन करवाली। विपक्षी सं. 1 से 4 से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा गलती को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि हम आवंटन निरस्त करवा देगे। परन्तु दिनांक 11.10.18 को विपक्षी सं. 1 से 4 पुनः हाथों में लठ व कुल्हाडियां लेकर लडाई–झगडा करने लगे एवं आवंटन निरस्ती कराने से इन्कार कर दिया। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा राजस्व कर्मचारियों एवं पटवारी हल्का की मिली भगत से बाई फ्रोड एण्ड मिसरिप्रजेन्टेशन कर तथ्यों को छिपाकर धोखाधडी करते हुये आवंटन करवाया हैं। आवंटन हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। प्रोक्लेमेशन जारी नहीं किया गया। ना कोई ढूंढी पिटवायी गई। बिना मौका देखे ही आवंटन प्रक्रिया अपनाये बिना गलत रूप से विपक्षीगणों के नाम कागजो में आवंटित कर दी गई। जो आवंटन एबइनिशियोवाईड होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विपक्षी सं. 1 से 4 के हस्ताक्षर भी नहीं है। ना कोई दिनांक अंकित है। नाही किसी अधिकारी का प्रजेन्टेशन अंकित है। जाच भी नहीं की गई। पूर्व से कितनी भूमि अंकित है। कितनी भूमि खाते अंकित है। आवंटित आराजी बहुत बडा रकबा है। कौनसी जगह पर भूमि का आवंटन किया गया, ऐसा कोई डिर्माकेशन, नक्शा ट्रेस आवंटन पत्रावली में मौजूद नहीं है। इस प्रकार तुरताफुरती में गलत तरीके से आवंटन करवा दिया। प्रार्थी गणों का भूमि पर कब्जा होने से प्रार्थीगणों के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही होकर धारा 91 का नोटिस भी मिले। विपक्षी सं. 1 से 4 ग्राम डोडावली के रहने वाले है। जबकि भूमि का आवंटन इन्हे ग्राम करनाली में हुआ। प्रार्थीगणों द्वारा काफी श्रम व लागत लगाकर भूमि को काबिल काश्त बनायी है। इस भूमि के अलावा प्रार्थीगणों के पास आजीविका

हेतु कोई भूमि नहीं है। यदि आवंटन निरस्त नहीं होता है तो प्रार्थीगणों के साथ में भारी अन्याय होगा एवं उनके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 से 4 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 27.02.06 अन्तर्गत मिसल सं. 127/06 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपने प्रार्थनापत्र के साथ में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिना मौका देखे विपक्षी सं. 1 से 4 को मिलीभगत से भूमि का आवंटन कर दिये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 11.10.18 को मौके पर आकर लडाई–झगडा करने के लिए उतारू हो गये एवं भूमि को आवंटन निरस्त कराने से इंकार कर दिया। जिस पर राजस्व अभिलेख व आवंटन आदेष की नकले निकलवाने पर आवंटन का ज्ञान हुआ। इसके पूर्व प्रार्थी को आवंटन की कोई जानकारी नहीं थी। अतः आवंटन निरस्ती के आवेदन को मयाद में शुमार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि मौजा करनाली तहसील गिर्वा के आराजी नं. 457, 458, 459, 460 की किता 4 रकबा 0.5700हे. भूमि का कब्जा कभी भी प्रार्थीगण अथवा उनके पिता का नहीं रहा। नाही उनकी कोई पत्थर की कोट व थूर की बाड़ थी। आवंटन से पूर्व इस भूमि पर विपक्षीगणों का ही कब्जा था। कब्जे के आधार पर ही आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगणों को किया गया। विपक्षीगणों द्वारा उक्त भूमि को भारी लागत लगाकर उपजाउ बनायी। आवंटन शर्तो की पालना की। प्रार्थीगणों द्वारा जो भी बात कही जा रही है। वह तथ्यहीन व झूठी है। बल्की आवंटन निरस्त किया जाता है तो विपक्षीगण भूमि से वंचित हो जायेगे तथा परिवार के भूखों मरने की स्थिति आ जायेगी। विपक्षीगण भूमिहीन होकर आवंटन की पात्रता रखते है। उल्टे प्रार्थीगण के पास काफी भूमि होकर उनकी काफी अच्छी स्थिति है व आवंटन की पात्रता भी नहीं रखते है। ना ही वह भूमिहीन काश्तकार है। नाही इस भूमि पर उनके बाप दादाओं के वक्त से कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगणों द्वारा आवंटन के समय कोई तथ्य नहीं छिपाये गये, ना ही गलत तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटन करवायी गई। बल्कि प्रार्थीगणों को परेशान करने की गरज से यह गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण का आवंटन दिनांक से पूर्व से ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। भूमि पर भारी लागत लगाकर आबाद किया है। भूमि को काश्त योग्य बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है। आवंटन कमेटी

द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर उद्घोषणा करने के पश्चात् भूमिहीन काश्तकार होने से पूर्व के कब्जे व पात्रता रखने से आवंटन किया है। प्राथीगणों को दिनांक 11.10.18 या अन्य किसी दिनांक को धमकी या लडाई झगडा नहीं किया गया। किये गये कथन गलत हैं। आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण नियमों की पालना करते हुये भूमि का आवंटन किया गया। अतः विपक्षीगणों को किया गया आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर किया गया है ऐसी स्थिति में विपक्षीगणों को किया गया आवंटन निरस्त नहीं किया जाकर प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 से 4 को मौजा करनाली तहसील गिर्वा की आराजी नं. 457, 458, 459, 460 की किता 4 रकबा 0.5700हे. भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा गलत रूप से बिना मौका निरीक्षण किये ही कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि पर विगत 80 वर्षो से हमारे पूर्वाधिकारियों का कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि पर तीन तरफ से कच्ची पत्थर की कोट बनी हुई है एवं थूर की बाड लगी हुई हैं। इस भूमि को भारी श्रम व लागत लगाकर काबिल काश्त बनायी है। परन्तु विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा जो कि इस गांव के निवासी नहीं होकर दुरस्त गांव डोडावली के निवासी है। जिनके द्वारा पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर बिना मौका जांच करवाये ही अपने नाम पर आवंटन करवा दी गई। जबकि इस भूमि पर हमारा कब्जा होने से हमारे विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही उपतहसीलदार गिर्वा द्वारा सम्पादित की गई। जिसकी मिसल नं. 460/16, 354/17 से कार्यवाही दर्ज होकर हमे नोटिस मिले थे। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त भूमि पर हमारा कब्जा स्पष्ट रूप से साबित होता है इसके उपरान्त भी आवंटन कमेटी द्वारा बिना मौका निरीक्षण करवाये भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 1 से 4 को कर दिया गया। आवंटन प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। विपक्षीगणों द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवंटन प्राप्त किया। आवंटन आवेदन पत्र भी अपूर्ण भरा गया, सभी के हस्ताक्षर भी नहीं थे। आवंटन आवेदन पत्र किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ, किसी भी अधिकारी का मार्क नहीं है। न ही पूर्ण रूप से जांच की गई। विपक्षीगण भूमि आवंटन की पात्रता रखते है अथवा नहीं इसकी जांच नहीं की गई। ऐसी स्थिति में तथ्यों को छिपाकर व मिली भगत से प्राप्त भूमि जो की गलत मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर आवंटन करवायी गई है। ऐसा आवंटन एबइनिश्योवाईड की श्रेणी में आने से काबिल निरस्त है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जाये। अपने कथनों की ताईद में आरआरटी 2006(1) पेज 398 एवं आरआरटी 2005(1) पेज 27 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 से 4 की आवंटित भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा नहीं होने से एवं भूमि मौके पर काबिल काश्त होने एवं विपक्षीगणो का उक्त भूमि पर कब्जा होने से विपक्षी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में आने से उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 4 को आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटित की गई। विपक्षीगणों का उक्त भूमि का कब्जा होने से पी–14 वर्ष 2062 के क्र. सं. 6 पर नाम दर्ज है। इसी आधार पर भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एव ंनायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा यह कथन कर स्वीकार किया है कि यह आराजीयात काफी बडी है। हो सकता है कि इनका अन्यत्र कब्जा रहा हो। परन्तु जो भूमि विपक्षी सं. 1 से 4 को आवंटित की गई है। उस पर आवंटन से पूर्व कब्जा विपक्षीयों का ही था व वर्तमान में भी विपक्षी 1 से 4 का ही कब्जा है। विपक्षी 1 से 4 द्वारा भारी श्रम व लागत लगाकर भूमि को काबिल काश्त बनायी है। जिस पर काश्त की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा महज परेशान करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सारे झूठे व असत्य कथन किये गये है। अतः कृपया प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 का प्रस्तुत कर मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में न्यायालय का मत रहा है कि प्रार्थीगण मौके की रिपोर्ट हेतु अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत एकत्र करने की पात्रता नहीं रखते है। जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसे अपने साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही साबित किया जाना है । वह न्यायालय से अतिरिक्त साक्ष्य सबूत एकत्रित करने की अधिकारिता नहीं रख सकता है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 को अस्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। विपक्षी 1 से 4 को भूमि आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा उसके आवेदन पत्र पर नियमानुसार पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एव ंनायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर भूमि का आवंटन किया गया। जांच रिपोर्ट में पटवारी द्वारा विपक्षीयों का नाम पी–14 वर्ष 2062 के क्रम सं. 6 पर दर्ज है। जिससे भी साबित होता है कि आवंटित भूमि पर विपक्षीगणो का कब्जा आवंटन से पूर्व था। प्रार्थीगणों द्वारा अपने कथनो की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र उनके द्वारा दस्तावेज में नायब तहसीलदार गिर्वा द्वारा दर्ज किये गये नाजायज कब्जा

460/16 एवं 354/17 में जारी नोटिस की छायाप्रतिया ही प्रस्तुत की गई है। जिस में मात्र आराजी सं. 460 पर ही कब्जा होना बताया है। वह भी सम्वत 2073 व 2074 खरीफ में होना बताया है। इसके बाद में या इसके पहले के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रार्थीगण का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि विपक्षीगण करनाली के निवासी नहीं है। क्योकि जांच रिपोर्ट में उनका निवास करनाली ही बताया गया है। साथ ही इन्हे सद्भावी कृषक बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन में जाहिर किया कि इनके नाम पूर्व से ही काफी भूमि राजस्व रेकार्ड में स्थित है जिसके संबंध में कोई जमाबन्दी या अन्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ना ही अपना कब्जा 80 वर्ष से पूर्व होने का साबित किया। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्ती प्रार्थनापत्र में किये गये कथन अपने साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित करने में असमर्थ रहे है। आवंटित भूमि पर कब्जा होने व आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के संबंध में भी प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी सं. 1 से 4 के पक्ष में किया गया आवंटन नियमानुसार सही साबित होने से प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावें एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को उनकी आवंटन पत्रावली संख्या 127/06 मय निर्णय के प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.27 12:54:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: